न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 02/23 दायरा दिनांक 04.08.2023

अंगूरीबाई पुत्री कल्लू पत्नि नरेन्द्र उम्र 45 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी श्रीराम टाकीज के पीछे गली नम्बर 2 विजयपुरम कालोनी शिवपुरी मध्यप्रदेश

– अपीलान्ट

बनाम

1. नत्थु पुत्र कल्लू जाति जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. शान्तीबाई पत्नि कल्लू जाति जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. बादामी पुत्री कल्लू पत्नि रामभरोस जाति जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी राधाकृष्ण मंदिर के पीछे रोझडी, नयागांव कोटा जिला कोटा राजस्थान
4. भभूती पुत्री कल्लू पत्नि वासुदेव जाति जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल निवासी बमरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
5. सरपंच ग्राम पंचायत गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध फोती नामान्तरकरण नम्बर 373 ग्राम फरेदुआ उपरेटी दिनांक 05.02.2001 अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत गदरेटा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

<u>निर्णय–दिनांक 27.03.2024</u>

उपस्थित–

1. अपीलाण्ट की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
2. रेस्पो. की ओर से – ए.के. शर्मा, के.एस.यादव एडवोकेट

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम फरेदुआ उपरेटी पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा संख्या 9/358 रकबा 6.00 बीघा, खसरा संख्या 10 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 259/360 रकबा 1.19 बीघा व खसरा संख्या 263/386 रकबा 3.02 बीघा कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 11.17 बीघा स्थित है, जिसे अपील में आगे [illegible] उक्त विवादित आराजी के मूल खातेदार कल्लू पुत्र जवाहरलाल [illegible] निवासी फरेदुआ उपरेटी थे, जिनकी मृत्यु के समय [illegible] एक पुत्र [illegible] क्रम 1, चार पुत्रियां क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

अपीलाण्ट रेस्पो. कम 3 व 4 तथा मानो तथा पत्नि रेस्पो. कम 2 मौजूद रहे हैं, जो मृतक खातेदार कल्लू के पुत्र/पुत्री/पत्नि होकर वैधानिक वारिसान उत्तराधिकारी हैं, जिनके नाम समभाग से प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गदरेटा ने मृतक कल्लू के वारिसान की सही जांच एवं तहकीकात किये बिना, अपीलाण्ट को कोई सूचना दिये बिना, बाला बाला प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण मात्र रेस्पो. कम 1 पुत्र व 2 पत्नि के नाम खोल तस्दीक कर दिया है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान में विवादित आराजी के मूल खातेदार कल्लू की एक पुत्री मानो की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है, जिसके अपीलाण्ट तथा रेस्पो. कम 1 ता 4 ही वैधानिक वारिस हैं। इस कारण विवादित आराजी में अपीलाण्ट तथा रेस्पो. कम 1 लगायत 4 समभाग से हक व अधिकार निहित रखते हैं और इस आधार पर अपीलाण्ट का विवादित आराजी में 1/5 हक व हिस्सा निहित है। किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु दिनांक 24.04.2023 को एल.आर.सी. तहसील शाहावाद से विवादित आराजी खाते की नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट को प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्व प्रथम ज्ञान हुआ। ज्यों ही सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि उसी दिन हल्का पटवारी जी को आवेदन कर प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम जानकारी होने की तिथी से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव मे क्षमा किये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है। प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश रेस्पोडेन्ट कम 5 द्वारा पारित किये जाने से तथा सर्वोच्च भूस्वामी होने से रेस्पो. कम 4 को अपील में पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 373 आदेश दिनांक 05.02.2001 ग्राम फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहाबाद को निरस्त फरमाया जावे तथा खातेदार कल्लू पुत्र जवाहरलाल जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआउपरेटी तहसील शाहावाद के स्थान पर अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 के नाम समभाग से फौती नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के सादर आदेश रेस्पो. कम 6 को पारित फरमाये जाने कृपा की करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोर्डेण्टस की तलबी की गई। रेस्पो. कम 1 लगायत 4 की ओर से सीधे ही वहस की गई। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरण नंबर 373 ग्राम फरेदुआ उपरेटी के जरिये खातेदार कल्लू पुत्र जवाहरलाल जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआ उपरेटी की विरासत दर्ज की गई है, सजरे में केवल पुत्र नत्थू व वेवा शान्ति को ही वारिस दर्शाया गया है और उन्ही के नाम नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अपीलाण्ट के कथनानुसार अपीलाण्ट के अलावा रेस्पो. कम 3 व 4 म[illegible] कल्लू की पुत्रियां हैं, जिनके नाम भी कल्लू की विरास[illegible] के समर्थन में अपीलाण्ट ने राजकीय [illegible] माध्यमिक [illegible] समरानियां, द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:39 IST
Reason: SelfAttested

27.03.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

प्रमाणपत्र कमांक 633 दिनांक 25.04.23 प्रस्तुत किया है, जिससे अंगूरीबाई का कल्लू की पुत्री होना साबित होता है। अतः पर्याप्त आधार है कि अपीलाण्ट मृत खातेदार कल्लू की पुत्री है। रेस्पो. की ओर से कोई प्रतिकूल कथन नहीं किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नम्बर 373 दिनांक 05.02.2001 ग्राम फरेदुआ उपरेटी को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार कल्लू पुत्र जवाहरलाल जाति ब्राह्मण निवासी फरेदुआउपरेटी तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27.03.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:39 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner